Annex--3

एस० के० शुक्ल
कुल सचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर
सीतापुर रोड़, लखनऊ-226021

संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2001/6524-27
दिनांक : 9 जुलाई, 2001

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय,
राजभवन, लखनऊ।

विषयः- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एण्ड सोशल सांइसेज, सुलतानपुर में सत्र 2001-2002 से एम०बी०ए० कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एण्ड सोशल सांइसेज, सुलतानपुर द्वारा एम०बी०ए० कार्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2001-2002 से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

संस्थान को उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र संख्या 1735/सत्तर-6-2001-2(47) एम.बी.ए. 2001, दिनांक-7 जुलाई, 2001 द्वारा एम०बी०ए० पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2001-2002से प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान की गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा भी संस्थान को एन०ओ०सी० निर्गत की गई है।

संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से अनुरोध किया गया जिसके क्रम में कुलपति महोदय द्वारा एक निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्थान का निरीक्षण दिनांक 08-07-2001 को किया गया तथा आख्या प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त आख्या संलग्नक-1 पर अवलोकनीय है। निरीक्षक मण्डल ने संस्थान को एम०बी०ए० कार्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2001-2002 से अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की है।

कृ० पृ० उ०

यह नयी संस्था है तथा इसके संचालन हेतु संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से एम०बी०ए० पाठ्यक्रम को 60 प्रवेश क्षमता के साथ अनुमोदन मिल गया है। (संलग्नक-2)

वर्णित स्थिति में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित निरीक्षक मण्डल की संस्तुतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष संस्थान को सत्र 2001-2002 से दो वर्षों हेतु एम०बी०ए० पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत 60 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम–2000 की धारा 23 (2) के अन्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेशों से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(एस० के० शुक्ल)
कुल सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की एक प्रति के साथ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, तृतीय तल, बापू भवन, लखनऊ।
3. सचिव, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुलतानपुर।

Arshukla

(एस० के० शुक्ल)
कुल सचिव